न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 04/2020

बउनवान

1–रामस्वरूप आयु 50 वर्ष पुत्र नन्दलाल
2–पुष्पाबाई आयु 76 वर्ष बेवा नन्दलाल
जातियान खाती निवासीगण ग्राम रेनगढ तहसील–मॉगरोल
जिला बारां हाल निवासी कोटा जिला कोटा(राज0) (अपीलांट)

बनाम

1–हेमराज आयु 57 वर्ष पुत्र गंगाराम खाती नि0 रेनगढ तह. मॉगरोल
2–बृजमोहन आयु 55 वर्ष पुत्र गंगाराम खाती नि0 रेनगढ तह. मॉगरोल
3–सोनू आयु 25 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जाति–खाती नि0 रेनगढ तह.मॉगरोल
4–मोनू आयु 23 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जाति–खाती नि0 रेनगढ तह.मॉगरोल
5–मुरलीबाई आयु 48 वर्ष बेवा सत्यनारायण जाति–खाली निवासी रेनगढ़
6–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल (रेस्पोंडेंटस्)

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल सं0 338 दिनांक 20.02.2020 वाके ग्राम–मोरडी तहसील–मॉगरोल अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री जितेश कुमार शर्मा,अभिभाषक (रेस्पोडेंट्स)

निर्णय दिनांक– 07.09.2020

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट्स के खाता खंख्या 10 ग्राम मोरडी तहसील–मॉगरोल में आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 1.70 है0 व खसरा नम्बर 191/335 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 रकबा 1.85 है0 में अपीलांट्स का 1/2 शामलाती हिस्सा जमाबंदी में दर्ज था। इस आराजी में से अपीलांट्स ने जर्ये हकत्याग दिनांक 01.07.2019 को अपने हिस्से 1/2 का 5/7 यानि दोनो खसरा नम्बरान् का 5/14 हिस्सा अपने भाई रेस्पोडेंट क्रम–1 व 2 व मृतक सत्यनारायण के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग किया था। सत्यनारायण की मृत्यु होने पर उसके वारिसान् रेस्पोडेंट क्रम 3, 4, व 5 के विरूद्व अपील पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय को रजिस्टर्ड हकत्याग हकग्रहिता रेस्पोडेंट के पक्ष में 5/14 हिस्से का हीं इन्तकाल दर्ज होना चाहिये था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सहवन या त्रुटिवश अपीलांट्स का सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 का हीं इन्तकाल रेस्पोडेंट के पक्ष में तस्दीक कर दिया है। जिससे उसके दोनो खसरा नम्बरान में कोई हिस्सा नहीं रहा है, जैसा कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.24 13:04:18 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट पटवारी व राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल ने मुताबिक रजिस्टर्ड हकत्याग के इन्तकाल नं0 338 दिनांक 20.2.2020 तस्दीक नहीं किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि विरूद्व एवं संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा अवैध व त्रुटिपूर्ण होने से इन्तकाल काबिले खारजी योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, इन्तकाल संख्या 338 दिनांक 20.02.2020 ग्राम मोरडी खारिज फरमाया जाकर, हकत्याग अनुसार पुनः इन्तकाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार, मॉगरोल को निर्देशित किया जावे।

2— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के शामलाती खाता संख्या 10 में आराजी खं0नं0 131 रकबा 1.70 है0 व ख.नं0 191/335 रकबा 0.15 है0 कुल 1.85 है0 दर्ज है, जिसमें अपीलांट्स का 1/2 हिस्सा है। अपीलांट्स ने अपने हिस्से की आराजी में से अपने पारिवारिक आपसी सहमति से अपने हिस्से 1/2 में से 5/7 यानि दोनो नम्बरान् का 5/14 हिस्सा रेस्पोडेंट्स के पक्ष में हकत्याग किया था, जिसका अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा इन्तकाल नं0 338 दिनांक 20.02.2020 ग्राम मोरडी दर्ज किया है जिसमें पटवारी हल्का, कानूनगो व नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा त्रुटिवश अपीलांट्स की सम्पूर्ण आराजी 1/2 हिस्से को हीं रेस्पोडेंट्स के खाते दर्ज कर दी है, जबकि अपीलांट्स ने मात्र 5/14 हिस्से का हीं हकत्याग किया है। शेष आराजी पर अपीलांट्स बदस्तूर काबिज काश्त है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल तस्दीक करने में कानूनी व विधिक भूल की है। उक्त इन्तकाल दर्ज होने से अपीलांट के खाते में अब कोई आराजी शेष नहीं रहीं है। जबकि हकत्याग 5/14 हिस्से का हीं किया गया है। इन्तकाल निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 338 को निरस्त किया जाकर, हकत्याग अनुसार रेस्पों0 के पक्ष में इन्तकाल दर्ज किया जावे तथा शेष आराजी अपीलांट्स के खाते दर्ज रखी जावे।

4— इसके विपरीत विद्वान रेस्पोडेंट अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का समर्थन करते हुये व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हकत्याग अनुसार इन्तकाल दर्ज नहीं किया है, त्रुटिवश सम्पूर्ण आराजी उसके खाते दर्ज कर दी है। अतः हकत्याग अनुसार पुनः सहीं इन्तकाल दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि पक्षकारान् के ग्राम मोरडी तहसील—मॉगरोल में संयुक्त खाता संख्या 10 में आराजी खं0नं0

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.24 13:04:18 IST
Reason: SelfAttested

131 रकबा 1.70 है0 व ख.नं0 191/335 रकबा 0.15 है0 कुल 1.85 है0 अवस्थित है, जमाबन्दी अनुसार अपीलांट के खाते में 1/2 हिस्सा दर्ज है। अपीलांट्स ने अपने हिस्सा का 5/14 भाग जर्ये रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 01.07.2019 रेस्पोडेंट्स के पक्ष में किया है जिसका अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा इन्तकाल संख्या 338 दिनांक 20.02.2020 दर्ज किया है। उक्त इन्तकाल के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक हकत्याग दिनांक 01.07.2019, 5/14 हिस्से का इन्तकाल नहीं खोलकर, अपीलांट्स के हिस्से 1/2 की सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेंट्स के खाते दर्ज की गयी है। जबकि 5/14 हिस्से को छोडकर, शेष आराजी अपीलांट्स के खाते दर्ज रहना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल तस्दीक करने में भारी भूल की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6— परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 338 दिनांक 20.02.2020 ग्राम गोरडी तहसील—मॉगरोल निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल को निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान् की विधिवत सुनवाई कर, मुताबिक रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 01.07.2019 के अनुसार रेस्पोडेंट के पक्ष के इन्तकाल दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.24 13:04:18 IST
Reason: SelfAttested